

संख्या : 684 / मु.स. / बाल कल्याण / 2003
दिनांक : सितम्बर 29, 2003

प्रेषक,

डा. आर.एस. टोलिया
मुख्य सचिव
उत्तरांचल

सेवा में,

महासचिव
उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद
159/1, बसन्त विहार, देहरादून

विषय: उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद की कार्यकारिणी और जनपद के अन्तर्गत गठित जनपद बाल कल्याण परिषद और विकास खण्ड बाल कल्याण समिति में राजकीय अधिकारियों को पदेन पदाधिकारी अथवा सदस्य बनने हेतु अधिकृत किया जाना.

प्रिय महोदय,

उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन किया गया है जिसके पदेन अध्यक्ष महामहिम श्री राज्यपाल हैं.


2. उपरोक्त परिषद की कार्यकारिणी, जनपद बाल कल्याण परिषद में एवं विकास खण्ड बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों को, नियमानुसार पदेन पदधारण करने अथवा सदस्य बनने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं.
3. उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में पदेन सदस्य के रूप में निम्न अधिकारी होंगे:

3.1 प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा	सदस्य
3.2 प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य	सदस्य
3.3 प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
3.4 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
3.5 निदेशक, शिक्षा	सदस्य
3.6 निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
4. अग्रेतर जनपद बाल कल्याण परिषद में निम्न अधिकारियों को पदेन रूप से पदधारण करने अथवा सदस्य बनने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है. जनपद परिषद के गैर सरकारी पदाधिकारियों और सदस्यों का नामांकन राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा किया जायेगा. जनपद बाल कल्याण परिषद के तदनुसार गठन एवं उसके संचालन के लिए राग-समय पर निर्देशन हेतु, श्री राज्यपाल उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद को सहर्ष अधिकृत करते हैं :

4.1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
4.2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.4	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.6	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
4.7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की पदेन अध्यक्षता में विकास खण्ड बाल कल्याण समिति के गठन एवं पंचायत स्तर पर बाल कल्याण समिति के गठन हेतु श्री राज्यपाल उत्तरांचल राज्य बाल कल्याण परिषद को सहर्ष अधिकृत करते हैं।
6. उपरोक्त अधिकारी पदेन रूप से परिषद की कार्यकारिणी, जनपद बाल कल्याण परिषद और विकास खण्ड बाल कल्याण समिति में परिषद के मैमोरेन्डम आफ एसोसियेशन और रूल्स और रेगुलेशन्स के अनुसार कार्य करेंगे तथा उनकी सेवायें पूर्णतः अवैतनिक प्रकृति की होंगी।

भवदीय,


(डा. आर.एस. टोलिया)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा
2. प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य
3. प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून
5. निदेशक, शिक्षा, देहरादून
6. निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, देहरादून
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल
14. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल
15. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल
16. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल

(डा. आर.एस. टोलिया)
मुख्य सचिव